

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत 1950

₹. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-315024



लेन मज का सहित विवरण

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. नाम का प्रकार | पुंलिंग |
| 2. पता | बिजौर |
| 3. गाँव | खीसा |
| 4. सामिल का विवरण (सम्पत्ति - 100) | श्रीम दासरा लखवा-6658 |
| 5. माग का इलाहा | खिलाफ |



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 315025

6.	रजिस्ट्रार का संकेत	0 302 8/10/22
7.	रजिस्ट्रार का प्रकार	रजि
8.	पेडा का नुस्खा	कोई पेडा नहीं
9.	बोर्डिंग/रजि/आ/अ/अ	नहीं
10.	प्रतिफल की धाराशि	रुप 2,00,000/-
11.	बयाना	रुप 1,00,000/-
12.	ग. रजि. नं.	रुप 4,54,000/-
13.	रजि. नं.	रुप 58,400/-



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




सिद्धि
असल नं० 683/11

पुरुष :	गुण असा संख्या- 661, 679
पत्नी :	गुण असा संख्या- 662, 683
उत्तर :	गुण असा संख्या- 664, 686
दंडित :	गुण असा संख्या- 665, 687

प्रथम पक्ष की संख्या 61
द्वितीय पक्ष का संख्या
नीचीवाट पुत्र लाला दास
निवासी-उन्नीखोड़,
अजय-घाम नदी, परगना,
सहस्रौत न जिला-सहस्रौत
खजाना-रूपे

द्वितीय पक्ष की संख्या 61
असादीया पक्ष का संख्या
पदा पदाव पुत्र जी भानी,
निवासी- घाम-उन्नीखोड़, मसीली,
सहस्रौत न जिला-सहस्रौत
खजाना-रूपे



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15/11/2018

28/11/2018

विक्रय अनुबंध पत्र मय कब्जी

यह निम्न अनुबंध पत्र बीपीएल पूर साखरा बस
बिगाडी-शनीखड़ा, मकरा-काम-बरीगा, पटना, महाराष्ट्र व
जिला-बलराम, जेठे आगे बलराम प्रयाग पत्र कट गया है।

एवं

यथा प्रदाह पत्र श्री गजानी, नियासी- पूर-पट्ट गिद्धी,
बलीजी, मुहम्मदशरीफ जिला-बलरामली सिन्हे आगे बलरामली
पत्र कट गया है जो मध्य निश्चित हुआ।




भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67 198/89
29/12

एक कि. विभागाध्यक्ष एवं सहायक कार्यालय लखनऊ
दरम्यान संख्या-20507, फारसी नंबर 1413 से 1418 के
द्वारा संख्या-8858 तथा न.202 टिकट/88, स्थित ग्राम खरीना,
मथाना-मिर्जापुर, ताहसील न सिद्धा जयनगर के नालेक कमिश्नर
न कार्यालय हैं, तथा टिकट/8858 पत्र के नाम राजेश अग्निहोत्री में
मजदूर 15 वर्ष से नीचे अनात्म-मौलिक मूल्यांकन दर्ज है।

एक कि. उक्त मूल अनात्म-मौलिक दर्ज है, उक्त कृषि मूले
टिकट/8858 पत्र के दर्जों में आयु 15 वर्ष से नीचे है, उक्त



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100


रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 0 -

भूमि भूमि चुकल हा किन्तु ही इन्कव्हालन, मिटल, रंग, अथ, हिन, जमागत, कुली, कथक, मुसलम, सख्खारी वा गैर सख्खारी कि जण, सख्खारी वा गैर सख्खारी कर्तव्यही आणि ते खिन्न वती न पावत साफ हे, अतः सधन अधिकारी से ख्यात भूमि को सख्खारीक घोषित करवा कर तथा सधन अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विवेकाप्रथम पक्ष, क्रोधादित्य पक्ष से पक्ष में निरुद्ध खिन्न निष्पादित कर देगा। यदि ख्यात भूमि वा सख्खारीक भूमि में हस्तान्तरण नहीं हो पता है और प्रस्तावित क्रोधादित्य पक्ष को ख्यात भूमि को ख्यात न देखा जाय है तो विवेकाप्रथम




भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100


₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



यह सम्पूर्ण प्रायः विनाल मुद्रा की प्रत्यक्ष आज सन्धि
अन्तर्देशीय गण को प्राप्त करेगा।

उक्त अन्तर्देशीय मुद्रा को उसी किला कृषि मृत्ति विद्या
शाला, मथुरा-दिल्ली, लखनऊ व विना सदनका को
द्वय-संघ व समस्त विद्या विद्या महाविद्यालयों की विद्या व इका व
मुद्रा को फिर एक १०० १,२०,३०४१ (एक लाख आठ हजार तीन
सहस्र तीन सौ चार पचास) अन्तर्देशीय गण उपरोक्त की इका में



भारतीय न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 144695



-3-


बेरना तथा नाया है। सिद्धवा हम जन्म पदा विमलोलिखित करों के
पाकन्द होते हैं:-

1. कि कि कला कुरि मुदि न्हे उपलब्ध में जन्मोक्त तयामुदा
जीवन में से कला-द्वितीय पदा से विमलोलिखित पदा को रु. 100
(100/1000)--- विमला सात लाख अरुमागवे इकार तीन सौ
बाद नान, जन्म के तौर पर नीचे दिये गये विवरण के
अनुसार उदा कर दिया है। जिसकी जाति विमलोलिखित
पदा स्वीकार करते हैं।

P. S. ...

विमलोलिखित

2. यह कि जलदा आया कर 5,000/- जलदा नीच इलाक
मात्र: कला, द्वितीय पक्ष, विद्यालय, पक्ष एवं वरकल
रहित अर्थात्
3. यह कि जलदा भूमि असंलग्नीय है। जलदा भूमि भूमि
विद्यालय, पक्ष को कले में लगभग 15 वर्ग से भी अधिक है।
जलदा भूमि भूमि सुपत्ता एवं विद्या को इलाकला, विद्या,
रक्षण, एवं विद्या अमानत, कुली, वरकल, कुलदा, सखवाटी
का गैर सखवाटी केक जलदा आदि से विद्या, बटी व पाक
साफ है, अतः सखवा अखवाटी से जलदा भूमि एवं
संलग्नीय भूमि। जलदा एवं सखवा अखवाटी से
अनुमते जलदा एवं विद्या, अमानत, कला, द्वितीय पक्ष को
पक्ष में विद्या विद्या विद्या एवं देगा। यदि जलदा भूमि
वैक संलग्नीय भूमि में इलाकला नहीं हो जलदा है और
विद्या, द्वितीय पक्ष को जलदा भूमि को कले से कले विद्या
जाता है तो विद्या, पक्ष सम्पूर्ण जलदा विद्या भूमि को
जलदा से जलदा विद्या, द्वितीय पक्ष को वापस देगा।
4. यह कि विद्या, पक्ष यदि जलदा भूमि को विद्या
वसलात विद्या, पक्ष को कले में जलदा जलदा करता है तो



Secretary

Secretary



7. यह कि इस अनुबंध पर द्वारा कब्जा दिया जा रहा है। विभागाध्यक्ष एवं नॉन्-डिप्लोमेटिक ऑफिस अनुस्यूमित प्राप्ति के सदस्य हैं।
8. यह कि उपरोक्त विक्रय अनुबंध की शर्त हम डिप्लोमेटिक एवं नॉन्-डिप्लोमेटिक वैदिक प्रतिनिधि, प्रशासक एवं नॉन्-डिप्लोमेटिक एवं नॉन्-डिप्लोमेटिक आदि पर भी लागू होगी।
9. यह कि उपरोक्त भूमि प्राप्त करने-वा, अर्ध-राष्ट्रीय क्षेत्र के सामान्य काम के अन्तर्गत अज्ञात है इसलिये निशुद्धि करविलय दर रु० 22,50,000/- प्रति हेक्टर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार मिलित सम्पत्ति की भूमि व्याप 2,2000 हेक्टर की मालिकता रु० 4,95,000/- होती है, जो विक्रय मूल्य से कम है, अतः निम्नानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 56,400/- की नगद व्याप अदा किया जा रहे हैं।
10. यह कि आरक्षी उपरोक्त में केवल सुसुम्भित, गुणवत्ता इमारत आदि नहीं है तथा विभिन्न आरक्षी की उच्च मोटर की विन्वा में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय गंतव्यविधि संघातित है।



Page-14 of 17



11. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य नाम सुलतानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
12. यह कि आराजी उपरोक्त किसी सिक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व सिक मार्ग पर स्थित नहीं है।

मसाला पत्रादेश प्राप्ति का विवरण


1. रकम 7,00,000/- (सप्त लाख मात्र) द्वारा बैंक सचिवा-बिंदू 24/5/11, दिनांकित 01.08.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा इजलासगंज, लखनऊ।
2. रकम 98,304/- (सप्तत्य अष्टानव श्वार तीन सौ चार मात्र) ब्याद।

इस प्रकार कुल प्रयत्ना राशि रकम 7,98,304/- (सप्त लाख अष्टानव श्वार तीन सौ चार मात्र) विद्येता/प्रथम पत्र में द्वैत/द्वितीय पत्र से प्राप्त पाया।

आतः यह विद्येता अनुसन्ध पत्र आज विद्येता/प्रथम पत्र व द्वैत/द्वितीय पत्र से बिला जोर श्वार नावायज किसी शस्त्र के स्वस्थ नरिणक, स्वतन्त्र शस्त्रनि से अयने-अयने इरताशर/निशानी


(1) 2011/08/01

दि. 01/08/2011



विद्युत प्रणाली विभाग (विभाग)					
क्र. सं.	विवरण	प्रमाणित	दिनांक	स्थान	हस्ताक्षर
1
2
3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

अभूता लगाकर आज दिनांक 01 अगस्त सन् 2011 को तहरीर कर दिया ताकि सत्य रहे और व्यक्त जखमन पर काम आवे।

नोट : पृष्ठ संख्या-12 पर पंख संख्या काले पैन से लिखी गई है।

लखनऊ

दिनांक :- 01 08 2011


गवाहान:

1. श्री. अशोक शर्मा निवासी इलाहाबाद
पेठिका-क. अ. नं. 12/1, सि. को. टी.
डी. एल. एल. एल. एल. एल. एल.



विशेषी, प्रथम पक्ष

2. श्री. अशोक शर्मा
श्री. सुधीर शर्मा
श्री. मंगल शर्मा
लखनऊ



श्रेणी, द्वितीय पक्ष
दिनांक :- 01 08 2011

राइपकर्ता

(श. म. रामेश्वरी)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(माली अनुराग)
एडवोकेट
हाईकोर्ट, लखनऊ

पिंत

दस्तावेज क्र. 1122


1122

1122

1122

1122

110-3456
पु.स.प.स.
पु.स.प.स.प.स.प.स.
पु.स.प.स.




2021/05

பொருள் - கட்டிடம்

பெயர் - கட்டிடம்

பெயர் - கட்டிடம்



3-0

Exhibit No. 1111

100



100

100

100

100


100




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1950 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

खिला का नाम व पता- गोपीलाल पुत्र लालता दास निवासी-रानीखेड़ा,
फरस-ग्राम-बटौना, जयपुरा जिल्ला व जिला-जयपुरा
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




हस्ताक्षर-गोपीलाल
गोपीलाल

खेड़ा का नाम व पता- गंगा हरदास पुत्र श्री भगवती, निवासी- ग्राम-पूरे निखी, बलौली,
मुसलमनपुरा, जिला-रायपुरेला

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



हस्ताक्षर-गंगा
गंगा

आवक संख्या: 01/08/2011 से

पृष्ठ सं. 1 क्रमांक 13059

पृष्ठ सं. 551 से 560 पर समाप्त 11350

संश्लेषण किया गया

निदेशिका संख्या: 13059/2011

पी. के. द्विवेदी

एन. निरंजन (प्रशासक)

अधीक्षक

13059/2011

